समाचार

मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ने वाले पशुपालकों पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

(आयुक्त ने पशुपालकों से की अपील–सड़कों पर स्वच्छंद विचरण हेतु न छोड़े अपने मवेशियों, दण्डात्मक कार्यवाही से बचें)

(नगर निगम कोरबा द्वारा लगातार हो रही कार्यवाही, आज एक दर्जन से अधिक मवेशियों को सड़क से उठाकरण पहुंचाया गया गोठान)

कोरबा 02 जुलाई 2025 – अपने पालतू मवेशियों को सड़क पर स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़ने वाले पशुपालकों को चिन्हांकित कर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही नगर निगम कोरबा द्वारा की जाएगी। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र के समस्त पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने पालतू मवेशियों को घर पर सुरक्षित रूप से रखें, स्वच्छंद विचरण हेतु सड़कों पर खुला न छोड़े तथा निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की

दण्डात्मक कार्यवाही से बचें, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दें।

यहॉ उल्लेखनीय है कि पशुपालकों द्वारा अपने पालतू मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, आवागमन बाधित होता है, यातायात व्यवस्था बिगड़ती है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में जान–माल का नुकसान होने व मवेशियों के भी घायल होने की आशंका बनी रहती है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों से इन मवेशियों को हटाने तथा उन्हें गोठान आदि जगहों पर पहुंचाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है, अब निगम द्वारा ऐसे पशुपालकों पर जिनके द्वारा अपने पालतू मवेशी सड़क पर छोड़ दिये जा रहे हैं, उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पशुपालकों का हो रहा चिन्हाकंन– आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम का अमला निगम क्षेत्र के पशुपालकों, डेयरी संचालकों का नये सिरे से चिन्हाकंन कर रहा है तथा पशुपालकों को कड़ी हिदायत दी जा रही है कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर कदापि खुला न छोड़े। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि निगम क्षेत्र के सभी 07 जोन में पशुपालकों का चिन्हाकंन किया जा रहा है तथा जिन पशुपालकों द्वारा अपने पालतू मवेशी सड़क पर छोड़ दिये जा रहे हैं, उन पर निगम अब दण्डात्मक कार्यवाही भी करेगा।

लगातार जारी रहे अभियान– आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गो, संपर्क सड़कों, सार्वजनिक स्थानों आदि में सघन रूप से अभियान जारी रहें, खुले में घूमते हुए मवेशियों को काऊकेचर के माध्यम से गोठान में सुरक्षित रूप से पहुंचाएं। गोठान में मवेशियों के लिए चारा, पैरा व शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था अबाध रूप से रहे, यह सुनिश्चित करें, साथ ही मवेशियों का समय–समय में स्वास्थ्य परीक्षण भी कराएं।